units, construction of 3463 community toilets. In so far as liberation and rehabilitation is concerned, Ministry of Welfare has informed that till now about 1.00 lakh and 2.50 lakhs scavengers have been trained and rehabilitated respectively.

(c) and (d) Yes, Sir. The programme is popular in small and medium towns of the country, including urban slums.

The following steps have been taken to make this programme more efficient:—

(i) The procedural bottlenecks have been streamlined by HUDCO to expedite the early coverage of the programme throughout the country through its network of regional offices;

(ii) HUDCO's regional offices render assistance to the local municipalities in project formulation and time bound implemention.

(iii) 25% of Government of India's subsidy is released immediatley after sanction of the scheme to initiate programme in the town.

(iv) Half-yearly review meetings are held with the concerned State Government Secretaries to review the progress of the programme.

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण

1069. **श्री राजनाथ सिंह** :
श्री मती मालती शर्मा :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के चतुर्थ श्रेणी कम्रचारियों का स्थानांतरण महानगरों से बाहर नहीं किया जाता ,

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपर्युक्त निगम के दिल्ली में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण दिल्ली से बाहर किया जा रहा है जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन स्थानांतरणों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं । एन.वी.सी.सी. के श्रेणी IV के कर्मचारी के महानगर के बाहर स्थानांतरित किए जा सकते हैं ।

(ख)और (ग) निगम के श्रेणी-IV कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य जोनों में वहां कर्मचारीयों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है । ये स्थानांतरण आवश्यक हो गए हैं क्योंकि दिल्ली में पर्याप्त कार्य उपलब्ध नहीं है कि वर्तमान में दिल्ली में तैनात सभी श्रेणी-IV कर्मचारियों को किसी उपयोगी कार्य में लगाया जा सके । बाजार की स्थितियों पर निर्भर निर्माण कंपनी का कार्यभार घटता-बढ़ता रहता है । इसलिए क्रियात्मक स्तर के कार्यबल को कार्य रहने वाले स्थानों पर तैनात करना पड़ता है। जिस स्थानपर पर्याप्त कार्य नहीं होने पर क्रियात्मक स्तर पर कार्यबल रखा जायेगा वहां निगम को व्यर्थ में मजदूरी भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो इसकी वित्तीय स्थिति के लिए हानिकारक होगा । तथापि अति वास्तविक समस्याओं के मामलों में,प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर दिल्ली से अन्य जोनों के लिए कर्मचारियों के स्थानातंरण को रद्द कर दिया जाता है अथवा आस्थगित कर दिया जाता है ।

Transport problems in big cities

1070. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increasing transport problem in big cities of the country; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to solve the problem?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) Government of India provides financial assistance to State Governments for conducting studies on various Urban Transport matters to the extent of 40% of the cost of the Study. These studies indicate the relevant measures for solving

the problem of Urban Transport. Low cost measures like prohibition of on-street parking, segregation of fast and slow moving traffic, flexible laning, introduction of traffic-free zones, etc. are implemented by, State Governments. Depending on the traffic load, proposals for introduction of Light Rail Transit System/Mass Rapid Transit System have been initiated by the State Governments. Such projects, however, are highly capital intensive in nature and it is not possible to finance such projects through budgetary means of Central/State Governments alone. Therefore, efforts are made to seek soft Uran assistance from various international aid agencies for such projects. Delhi MRTS Project is one such example for which soft loan is being provided by OEC (Japan).

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवास समस्या

1071. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) विभिन्न श्रेणियों स्थानवार कितने फ्लैट खाली पड़े हैं तथा इसके क्या कारण है,

(ग) महानगरों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमति कितने मकोनों की कमी है,

(घ) आवास समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं,

(ड.) दिल्ली तथा अन्य महानगरों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबध में आवास की श्रेणीवार वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है, और

(च) अगले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली तथा देश के अन्य नगरों में सरकार द्वारा कितने मकान बनाने का विचार है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) सेवा निवृत्त, स्थानांतरण, मृत्यु, निम्न श्रेणी वास से उच्च श्रेणी वास में परिवर्तन आदि कारणों से प्रतिदिन आबंटितियों द्वारा कई वास खाली किये जाते हैं । बाद में ये आवास पात्र व्यक्तियों को आंबटित कर दिये जाते हैं और चूंकि यह एक सतत प्रकिया है, अतः निश्चित समय सीमा में खाली पडे मकानों की संख्या बताना संभव नहीं है ।

(ग) से (च) चार महानगरों के विभिन्न श्रेणियों/टाइप के आवास स्टॉक और रिहायशी वास की कमी और उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है ।

नौंवी योजना में वर्ष 1997-98 से प्रारंभ होने वाले प्रस्तावों पर सामान्य पूल रिहायशी वास स्कीम के लिए 500 करोड़ रू. की राशि निर्दिष्ठ करने का प्रस्ताव है और इस अवधि के दौरान भारत के विभिन्न नगरों में लगभग 10,000 आवास बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 2000 दिल्ली में बनाये जायेंगे । इन वर्षों के लिए प्रथम तीन वर्षो में निमार्ण कार्य योजना परिव्यय के आधार पर होगा ।

विवरण

श्रेणी	दिल्ली 1-7-97 की स्थिति के अनुसार		मुम्बई/न्यू मुम्बई 1-7-97 की स्थिति के अनुसार		कलकत्ता 31-3-97 की स्थिति के अनुसार		मद्रास 31-3-97 की स्थिति के अनुसार	
	उपलब्धता	कमी	उपलब्धता	कमी	उपलब्धता	कमी	उपलब्धता	कमी
I	16488	8351	3271	1131	1760	778	450	342
II	23204	15288	3702	2486	2444	2358	880	990
III	16235	15053	1323	880	1352	582	435	1087
IV	5001	4054	569	401	186	226	326	47
विशेष	484	1166	28	177	-	-	-	-
V	1848	1640	228	221	117	262	85	64
Vi	586	691	90	43	101	16	16	7
Vii	108	117	-	-	-	-	-	-
Viii	113	138	-	-	-	-	-	-